कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर

विज्ञप्ति

मीरजापुर जजशिप में आशुलिपिक, तृतीय श्रेणी (समूह ग) व देय प्रशिक्षु के रिक्त पदो पर भर्ती हेतु एक चयन सूची बनाने के लिए अर्ह अभ्यर्थियो से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

पदो की संख्या, आयु सीमा, वेतनमान आदि का विवरण निम्नवत हैः–

क.सं.	पद का नाम	रिक्त पदो की संख्या	वेतनमान	शैक्षिक योग्यता अनिवार्य
1	आशुलिपिक	02	5200–20200 ग्रेड पे 2800/–	–अभ्यर्थी ने उ.प्र.माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उसके समकक्ष अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हों। –शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी आशुलिपिक व हिन्दी टंकण में डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र। –हिन्दी आशुलिपिक गति 80 शब्द प्रति मिनट। –हिन्दी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट। – द्विभाषी आशुलिपिक एंव टंकण तथा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र धारण करने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।
2	लिपिक	17	5200–20200 ग्रेड पे 2000/–	–अभ्यर्थी ने उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उसके समकक्ष अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हों, तथा न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन तथा हिन्दी अग्रजी में कम से कम 25/30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति।
3	देय प्रशिक्षु	03	5200–20200 ग्रेड पे 2000/– नियत वेतन	–अभ्यर्थी ने उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उसके समकक्ष अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हों, तथा न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन तथा हिन्दी अग्रजी में कम से कम 25/30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति।

आयु सीमाः– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2013 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। आरक्षित वर्गो के अभ्यर्थीयो को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।

आरक्षणः– अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जातियों जन जातियों एवं अन्य पिछड़ो वर्गो व आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियो को नियमानसुार आरक्षण अनुमन्य होगा। अन्य प्रान्त के आवेदको को आरक्षण का का लाभ नही मिलेगा।

शिर्शाबिमुख आरक्षणः

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
21%	2%	27%	

क्षैतिज आरक्षणः यह आरक्षण प्रत्येक वर्ग में लागू होगा।

भूतपूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	विकलांग	महिलाएं
5%	2%	3%	20%

परीक्षा शुल्कः सामान्य परीक्षा शुल्क रू 500/–देय होगा किन्तु अनुसुचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू 300/– व पिछड़ी जाति रू0 400/– के लिए देय होगा । परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगा, जो जिला न्यायाधीश, मीरजापुर (Payble to "District Judge at Mirzapur)के पक्ष में देय हो । अन्य किसी प्रकार से दिया गया परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा । पदत्त शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा ।

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथिः अभ्यर्थी आवेदन पत्र विहित प्रारूप पर पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर के कार्यालय में दिनांक 02.07.2013 समय सायं 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए । उक्त तिथि तक निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

चयन परीक्षा निम्न विषयों में होगी । समस्त पदों हेतु अनिवार्य लिखित परीक्षा :

विषय	**अंक**
हिन्दी में साधारण ड्राफिंटग	50 अंक
हिन्दी निबन्ध एवं हिन्दी सारांश लेखन	50 अंक
अंग्रेजी में साधारण ड्राफिंटग एवं अंग्रेजी में सारांश लेखन	50 अंक
सामान्य ज्ञान	50 अंक
टंकण	
हिन्दी में टंकण	50 अंक
अंग्रेजी में टंकण	50 अंक

आशुलिपिक पदों हेतु अनिवार्य

हिन्दी टंकण में गति	35 शब्द प्रति मिनट
आशुलेखन में गति	80 शब्द प्रति मिनट

अध्यक्ष, चयन समिति/मीरजापुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुक्रमांक.........................
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटाग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

जिला न्यायाधीश,
मीरजापुर।

1– आवेदित का नाम..
2– अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)...
ब्लाक अक्षरो में (अंग्रेजी में)...
3– पिता/पति का नाम..
4– अभ्यर्थी की जन्म तिथि अंको में...शब्दो में.................................हस्ताक्षर.
5– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2013 को वर्ष............................माह.........................दिन............
6– अभ्यर्थी का पूर्ण स्थायी पता..
....
.
पत्र ब्यवहार का पता...
....
.
7– श्रेणी (यदि अभ्यर्थी अन्य पिछड़े वर्ग/अनु0जाति/अनु0जन जाति का हो तो उसका उल्लेख करें और प्रमाण–पत्र संलग्न करें...
8– राष्ट्रीयता..
9– उ0प्र0 में निवास की अवधि..
10अ– शैक्षिक योग्यताः– (प्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत

10ब– अन्य योग्यता कोई हो तो उसका विवरण...
11– भाषाये जो आवेदक भली–भाती लिख पढ़ सकता हो...
12– आवेदक यदि आशुलेखन व टंकण का ज्ञान रखता है तो उसका उल्लेख हॉ/नही में करें तथा ज्ञान होने पर निचे दिये गये स्तम्भ में गति का उल्लेख करें।

टंकण	हिन्दी में शब्द प्रति मिनट	
	अंग्रजी में शब्द प्रति मिनट	
आशुलेखन	हिन्दी में शब्द प्रति मिनट	
	अंग्रजी में शब्द प्रति मिनट	

13– क्या आवेदक किसी सेवा में था अथवा है, यदि हो तो पूर्ण विवरण पद एवं वेतन सहित अपनी सेवा योजक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें अथवा सेवा से पृथक होने का कारण स्पष्ट करें।
14– आवेदक हिन्दी अथवा अंग्रेजी टंकण की परीक्षा में सम्मिलित होगा (हिन्दी/अंग्रेजी/दोनो)...
15– क्या आवेदक कभी दिवालिया घोषित हुआ है अथवा उस पर कोई ऋण है, यदि हॉ तो पूर्ण विवरण...
16– आवेदक का सेवा योजन कार्यालय पंजीयन संख्या..
17– बैंक ड्राफ्ट संख्या,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,दिनांक................................धनराशि..........................

घोषणा

एत्तद्वारा मैं..घोषणा करता हूॅ/करती हूॅ कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। कोई तथ्य छुपाया नही गया है। किसी भी सूचना के असत्य पाये जाने पर बिना सूचना के दण्ड का उत्तरदायी रहूॅगा/रहॅुगी।

दिनांकः–
स्थानः–
संलग्नकः– अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

(अभ्यर्थी अलग शीट पर निम्न प्रारूप दो प्रतियों में स्वयं भरे) अनुक्रमांकः....................

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

चयन परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटाग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

1– आवेदित पद का नाम..

2– अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)..

(अंग्रेजी में)...

3– पिता/पति का नाम...

4– अभ्यर्थी की जन्म तिथि अंको में.................शब्दो में............

5– पत्र व्यवहार का पता..

हस्ताक्षर

....

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

परीक्षा की तिथि...

परीक्षा केन्द्र/स्थान..

परीक्षा का समय...

अध्यक्ष, चयन समिति/मीरजापुर

सामान्य निर्देशः

1:– उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में कमी/बृद्वि हो सकती है।

2:– अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

3:– आवेदक सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ राजपत्रित अधिकारी से कराकर संलग्न करें।

4:– अंतिम शिक्षण संस्थान के प्राधानाचार्या द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति और दो अन्य संभ्रात ब्यक्तियेां जो आवेदक में सम्मिलित न हों, द्वारा आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से 6 माह के अन्दर निर्गत मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5:– अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

6:– विकलांग अभ्यर्थियों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांग प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

7:– अभ्यर्थी को अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो, आवेदन पत्र व प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर लगाना होगा। प्रवेश पत्र निर्गत किये जाने के उद्देश्य से अभ्यर्थी रू0 25/– का डाक टिकट लगाकर अपना पता लिखे तीन लिफाफे (आकार 09 X 04) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

8:– सेवायोजन कार्यालय में यदि आवेदक का पंजीयन है तो उसका प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

9:– आवेदक को टंकण परीक्षा हेतु मशीन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी,कार्यालय से टंकण मशीन उपलब्ध कराये जाने की दशा में मशीन खराब होने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

10:–परीक्षा की तिथि, केन्द्र व समय की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से पंजीकृत के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा अभ्यर्थी को दी जायेगी।

11:–यदि किसी आवेदक को डाक से सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय से सम्पर्क कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है।

12:–यदि डाक विभाग के त्रुटि के कारण अथवा अन्य किसी कारण से आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है अथवा विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका उत्तरदायित्व इस कार्यालय का नहीं होगा।

13:–अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका ही दी जायेगी, अन्य लेखन सामग्री अथवा पेन पेंसिल आदि उसे स्वयं लानी होगी।

14:–परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं होगा।

15:–स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों / भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

16:–आवेदन पत्र अपूर्ण होने की दशा में उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

17:–अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थयी होगी और उसकी सेवाऐं बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

18:– नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दी गयी सूचना जॉच करने पर यदि गलत पायी जाती है तो उसके अभ्यर्थन/नियुक्ति बिना किसी सुनवाई के उसके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष, चयन समिति/मीरजापुर